माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–23.05.2025 को भवन निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

i. सचिव, पंचायती राज विभाग।
ii. निदेशक, पंचायती राज विभाग।
iii. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग।
iv. श्री नजर हुसैन, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग।
v. संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग।
vi. श्री अशोक कुमार, निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग।
vii. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग (VC के माध्यम से)
viii. सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार (VC के माध्यम से)।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक में उपस्थित एवं VC के माध्यम से जुड़े सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. विभागीय संकल्प संख्या 1291 दिनांक 08.02.2024 द्वारा 2165 पंचायत सरकार भवनों एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–53 (स्वी०) दिनांक 25.10.2024 द्वारा 450 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार 2165 पंचायत सरकार भवनों में से 2036 पंचायत सरकार भवनों का Work Order निर्गत हो चुका है जिनमें से 584 पंचायत सरकार भवन Foundation Level, 573 पंचायत सरकार भवन Plinth Level, 176 पंचायत सरकार भवन Groung Floor Level, 102 पंचायत सरकार भवन First Roof Level, 05 पंचायत सरकार भवन Brick & Plaster Level एवं 186 पंचायत सरकार भवन का कार्य प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में है।

साथ ही 450 पंचायत सरकार भवनों में से 431 पंचायत सरकार भवनों के लिए निविदा प्रकाशन हो चुका है। इन प्रकाशित निविदा में से 85 का Technical Bid एवं 65 का Financial Bid हो चुका है। 65 का Work Order निर्गत हो चुका है तथा 122 टेंडर की प्रक्रिया में है।

उक्त प्रगति प्रतिवेदन पर माननीय मंत्री द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए बताया गया कि पंचायत सरकार भवन योजना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है एवं इस योजना को जून 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य की गति अत्यंत धीमी है, सूक्ष्म अनुश्रवण करते हुए इसे तीव्र किये जाने की

नितांत आवश्यकता है। इस संबंध में अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को निदेशित किया गया कि योजना का निरंतर अनुश्रवण करते हुए इसे निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाय।

(अनुपालनः– अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग)

3. संदर्भित संकल्प की कंडिका–5(i) में निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही संकल्प की कंडिका–5(ii)(g) में प्रत्येक माह योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर विहित प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपलोड किये जाने एवं इसके आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण कर राशि की विमुक्ति का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में माननीय मंत्री द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए बताया गया कि विभाग को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही कि योजना का नियमित पर्यवेक्षण संबंधित अभियंताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही NIC द्वारा विकसित निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर भवन निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रविष्ट नही की जा रही है। उक्त के संबंध में अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को निदेश दिया गया कि संकल्प में निहित निदेश के आलोक में योजना का नियमित पर्यवेक्षण करायी जाय एवं उक्त पर्यवेक्षण के आधार पर ही निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर प्रगतिवार भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन की प्रविष्ट की जाए। निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि के आधार पर ही राशि का भुगतान किया जायेगा।

(अनुपालनः– अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग)

4. समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 1291 दिनांक 08.02.2024 का उल्लेख करते हुए बताया गया कि संकल्प की कंडिका–5(ii) में मापी के स्टेज का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुसार मापी पुस्त में अंकित कार्य के आधार पर राशि का भुगतान किया जाना है, परन्तु यह संज्ञान में आया है कि बिना कार्य कराये ही राशि का भुगतान किया जा रहा है।

इस संबंध में माननीय मंत्री द्वारा अभियंता प्रमुख को निदेशित किया गया कि अधीनस्थ अभियंताओं को नियमित रूप से स्थल भ्रमण हेतु निदशित किया जाय। साथ ही यह अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय कि मापी पुस्त में प्रविष्टि स्थलीय जाँच के उपरांत ही हो। यदि यह बात औपचारिक रूप से विभाग के संज्ञान में आती है कि बिना स्थल निरीक्षण किये ही मापी पुस्त में प्रविष्टि कर राशि का भुगतान किया जा रहा है या मापी पुस्त में की गयी प्रविष्टि और भौतिक प्रगति में भिन्नता है तो संबंधितों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाय। संकल्प में निर्धारित स्टेज की प्रविष्टि मापीपुस्त में करते हुए उसके विरूद्ध की गयी भुगतान की सूची भी पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालनः– अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग)

लगातार.....

5. विभागीय संकल्प संख्या 1291 दिनांक 08.02.2024 द्वारा आवंटित 2165 पंचायत सरकार भवनों के विरूद्ध 186 मामलें ऐसे है जिसमें भूमि विवाद, न्यायालयवाद एवं अन्य कारणो से अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। साथ ही जहाँ निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है वहाँ निर्माण की गति अत्यंत धीमी है।

इस संबंध में माननीय मंत्री द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया कि संकल्प निर्गत हुए लगभग 15 माह हो गये इसके बावजूद भी अबतक 186 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। उक्त के आलोक में माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग स्तर से जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया जाय कि वे भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, संबंधित अंचलाधिकारी के साथ पाक्षिक समीक्षा बैठक कर समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम एक ग्राम पंचायत का स्थल निरीक्षण करें ताकि निर्माण कार्य में गति आ सके। पंचायती राज विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों को शामिल कर प्रमण्डल वार निरीक्षण टीम का गठन किया जाय ताकि निर्माण कार्य में गति आ सके। साथ ही माननीय मंत्री द्वारा यह निदेशित किया गया कि निर्माण कार्य में बिलंब के कारण Cost Over Run की समस्या आती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।

(अनुपालनः– जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग)

6. माननीय मंत्री द्वारा निर्माण कार्य में मानक प्राक्कलन की विशिष्टता के अनुरूप गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने हेतु संकल्प में निहित निदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग एवं जिला स्तर पर टीम गठित कर नियमित जाँच कराने एंव जाँच प्रतिवेदन को NIC द्वारा विकसित Inspection Portal पर Upload कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– पंचायती राज विभाग)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

16/6/25

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/7661/पं०रा० पटना, दिनांक 17/06/2025
प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

लगातार.....

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/7661/पं०रा० पटना, दिनांक17/06/2025
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/7661/पं०रा० पटना, दिनांक17/06/2025
प्रतिलिपिः– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/7661/पं०रा० पटना,दिनांक17/06/2025
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/7661/पं०रा० पटना, दिनांक17/06/2025
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव